

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 386 / 18-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सोहराई मुण्डा  
सामुएल मुण्डा

- विक्रेता  
- क्रेता

बारे में टिप्पणी,  
तारीख सहित

21.03.20

## आदेश

आवेदक सोहराई मुण्डा पिता स्व० नागु मुण्डा ग्राम-जोने, पोस्ट-करा, थाना करा, जिला खूँटी ने सामुएल मुण्डा पिता स्व० विशनु मुण्डा ग्राम-जोने, पोस्ट-करा, थाना करा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
जोने	71	39	465	0.34
			467	0.07
				0.41

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं० 1499080504 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, करा के पत्रांक 112 दिनांक 04.02.20 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम जीतु मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार रतिया मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकबा 10.49 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 5.24 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 1365.00 (एक हजार तीन सौ पैसठ) रूपये प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 4.83 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना करा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, करा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, करा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सोहराई मुण्डा पिता स्व० नागु मुण्डा को सामुएल मुण्डा पिता स्व० विशनु मुण्डा के साथ ग्राम जोने के खाता सं० 39 खेसरा संख्या 465, 467 कुल रकबा 0.41 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 1365.00 (एक हजार तीन सौ पैसठ) रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, करा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।